

हुमान बनाम रामाकिशन

C/No 62/2015

श्री/श्री/श्री

पत्रावली जेवा दुई वकील वादी उप. नसीबदार
किशनगढ द्वारा अपने पत्रांक भू. अ. 19/6476
दि. 11/11/2019 को अपनी रिपोर्ट जेवा कि।
नकारण स. 62/2015 में पक्षकार द्वारा आपसी
सहमति द्वारा रेकर्ड में बटवारा कर लिया है।
नामान-नरग स. 1191 दि. 29/11/16 को रेकर्ड
में अंकन कर लिया गया। अतः वाद को
कोई विधिक औचित्य नहीं रहने के कारण
वादी के वाद को खारिज किया जाकर
पत्रावली जेचल शुमार होकर पत्रावली
बाम्बर से कम हो।

उपरखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

